Status of implementation of recommendations contained in the Fifth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) : महोदय, मैं "आम रक्षा बजट, बीआरओ, आईसीजी, एमईएस, डीजीडीई, डीपीएसयू, सीएसडी, भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण, ईसीएचएस, रक्षा पेंशन और सैनिक विद्यालयों से संबंधित अनुदान मांगों (2021-22) (मांग सं.,18,19,20 और 21)" के संबंध में विभाग संबंधित रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

MOTION FOR ELECTION TO THE CENTRAL ADVISORY COMMITTEE FOR THE NATIONAL CADET CORPS

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूँ- :

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31) की धारा 12 की उप-धारा (1क) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (i) के अनुसरण में, यह सभा उस रीति से, जैसा सभापति निदेश दें, सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को राष्ट्रीय कैडेट कोर की केंद्रीय सलाहकार समिति का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

The question was put and the Motion was adopted.

LEAVE OF ABSENCE

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that a letter has been received from Shri Subhasish Chakraborty, Member, stating that he would not be able to attend the 254th Session of Rajya Sabha on medical grounds. He has, therefore, requested for grant of leave of absence from 19th July to 13th August, 2021 during the current 254th Session of the Rajya Sabha.

Does he have the permission of the House for remaining absent from 19th July to 13th August, 2021 during the current 254th Session of the Rajya Sabha?

(No Hon. Member dissented)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.